



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2016/वैशाख 20, 1938

No. 331]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2016/ VAISAKHA 20, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 10 मई, 2016

सा.का.नि. 497(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में,--

(क) अनुसूची 1 में, क्रम संख्यांक 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

क्र.सं.	उद्योग	मापदंड	मानक		
(1)	(2)	(3)	(4)		
“10क.	अपशिष्ट के सह प्रसंस्करण सहित सीमेंट मानक संयंत्र	क. उत्सर्जन मानक			
		(i) धूर्णक भट्टा – अपशिष्ट सह प्रसंस्करण सहित			
			प्रारंभ की तारीख	स्थान	अधिकतम सान्द्रता, मि.ग्रा./एन.एम. ³ में
		(क)	(ख)	(ग)	

क्र.सं.	उद्योग	मापदंड	मानक			
(1)	(2)	(3)	(4)			
		कणिकीय पदार्थ (PM)	अधिसूचना की तारीख से ही	देश में किसी भी स्थान पर	30	
			अधिसूचना की तारीख से पूर्व	1.0 लाख से अधिक जनसंख्या वाले या उसके 5.0 कि.मी. परिधि के भीतर क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्र या शहरी केंद्र	30	
				क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्र या शहरी केंद्र से भिन्न	30	
		सल्फर डाई-आक्साइड (SO ₂)	प्रारंभ की तारीख को ध्यान में रखे बिना	देश में किसी भी स्थान पर	100, 700 और 1000, जब चूना-पत्थर में क्रमशः 0.25% से कम, 0.25 से 0.5% और 0.5% से अधिक पाइराइटिक सल्फर है।	
		नाइट्रोजन आक्साइड (NO _x *)	अधिसूचना की तारीख के पश्चात्	देश में किसी भी स्थान पर	(1) 600	
			अधिसूचना की तारीख से पूर्व (25.8.2014)	किसी भी स्थान पर	(2) इन-लाइन कैल्सिनर प्रौद्योगिकी सहित रोटरी किलन के लिए 800 । (3) आईएलसी, पृथक लाइन कैल्सिनर (एस एल सी) और सस्पेंशन प्रि-हीटर प्रौद्योगिकी या केवल एस एल सी प्रौद्योगिकी या बिना कैल्सिनर मिश्रित स्ट्रीम का उपयोग करते हुए रोटरी किलन के लिए 1000 ।	
		हाइड्रोजन क्लोराइड		10 मि.ग्रा./ एन.एम. ³		
		हाइड्रोजन फ्लोराइड		1 मि.ग्रा./ एन.एम. ³		
		कुल कार्बनिक कार्बन		10 मि.ग्रा./ एन.एम. ³		
		मरकरी और इसके यौगिक		0.05 मि.ग्रा./ एन.एम. ³		
		कैडमियम + थैलियम और उनके यौगिक		0.05 मि.ग्रा./ एन.एम. ³		
		एंटीमनी + आर्सेनिक + सीसा + कोबाल्ट + क्रोमियम + तांबा + मैंगनीज + निकैल + वेनेडियम और उनके यौगिक		0.5 मि.ग्रा./ एन.एम. ³		
		डाइऑक्सीन और फ्यूरान्स		0.1 एनजीटीइक्यू/ एन.एम. ³		
		टिप्पण : सारणी में उपयोग किए गए संक्षेपाक्षर निम्नलिखित रूप में अभिप्रेत हैं : सल्फर डाई-आक्साइड - SO ₂ ; नाइट्रोजन आक्साइड - NO _x ; हाइड्रोजन क्लोराइड - HCL ; हाइड्रोजन फ्लोराइड				

क्र.सं.	उद्योग	मापदंड	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
		- HF ; कुल कार्बनिक कार्बन – TOC ; मरकरी - Hg ; कैडमियम -Cd ; थैलियम - Tl ; एंटीमनी - Sb ; आर्सेनिक - As ; सीसा - Pb ; कोबाल्ट – Co ; क्रोमियम – Cr ; तांबा – Cu ; मैगनीज – Mn ; निकैल – Ni ; वानाडियम – V । ” ; * कणकीय पदार्थ, सल्फर डाईआक्साईड और नाइट्रोजन आक्साईड के संबंध में अनुपालन के लिए सांद्रण मान और समय रेखा समय-समय पर यथा संशोधित सा.का.नि. सं. 612 (अ.) तारीख 25 अगस्त, 2014 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अधीन उपबंधों के अनुसरण में शासित होंगे । **अनुज्ञापन प्राधिकारी, मामला दर मामला आधार पर अपशिष्टों के सह प्रसंस्करणों के लिए यदि कुल कार्बनिक कार्बन का परिणाम नहीं है, पृथक् मानकों को विहित कर सकेगा । (क) प्रत्येक चिमनी की ऊंचाई, जिसके अंतर्गत खांगर पिसाई संयंत्र, कोयला मिल, अपरिष्कृत मिल, पिसाई, संवेष्टन अनुभाग, आदि भी है, कम से कम 30 मीटर या $H = 14 (Q_1)^{0.3}$ और $H = 74 (Q_2)^{0.27}$ सूत्र के अनुसार रहेगी, जो भी अधिक हो, जहां H चिमनी की ऊंचाई मीटर में और "Q1" चिमनी के माध्यम से सल्फर डाई-आक्साइड SO₂ के अधिकतम उत्सर्जन की कि.ग्रा./प्रति घंटा और "Q2" संयंत्र की क्षमता के 100 प्रतिशत दर पर ढेर के माध्यम से PM उत्सर्जन टन/घंटा में प्रत्याशित मात्रा है, जो संयंत्र की शत-प्रतिशत रेटिंग क्षमता पर होगी। ख. मुख्य भट्टा ढेर पर सल्फर आक्साईड, नाइट्रोजन आक्साइड, हाईड्रोजन क्लोराईड, हाईड्रोजन फ्लोराईड, कुल कार्बनिक कार्बन, धातु और डाइऑक्सेन और फ्यूरोन की मानीटर मानों को 10 प्रतिशत आक्सीजन के शुष्क आधार पर मानकीकृत किया जाएगा और सल्फर डाईआक्साईड, नाइट्रोजन आक्साइड, हाईड्रोजन क्लोराईड, हाईड्रोजन फ्लोराईड, कुल कार्बनिक कार्बन, धातु और डाइऑक्सेन और फ्यूरोन के लिए सनियम मुख्य भट्टा ढेर को लागू होंगे तथा कणकीय पदार्थ के लिए सनियम संयंत्र में सभी ढेरों को लागू होंगे । कणकीय, सल्फर आक्साईड, नाइट्रोजन के.- आक्साइड की सतत मानीटरी होगी । हाईड्रोजन क्लोराईड, हाईड्रोजन फ्लोराईड, कुल कार्बनिक कार्बन, धातु और डाइऑक्सेन और फ्यूरोन की मानटरी वर्ष में एक बार होगी । ग. उत्सर्जनों के मार्जन के लिए आशयित मार्जक को शमन करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा । ऐसे संयंत्र, जो मार्जक यूनिट के लिए गैस उत्सर्जन हेतु पृथक्: चिमनी रखते हैं उसके चिमनी की ऊंचाई कम से कम मुख्य चिमनी की ऊंचाई के समान होगी ।	
		ख—अपशिष्ट जल सफाई (बिना प्रसंस्करण के) उद्योग के द्वारा आपूर्ति अपशिष्ट जल को 'शून्य निस्सारण' के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे । उद्योग के आपूर्ति अपशिष्ट जल निस्सारण चाहने की दशा में निम्नलिखित सन्निधियों का पालन किया जाएगा :	
			अधिकतम सान्द्रता, मि.ग्रा./एन.एम.³ (pH और तापमान के सिवाय)
		pH	5.5 से 9.0
		निलम्बित कण	100
		तेल और ग्रीस	10
		तापमान	प्रापक जल के तापमान से 5°C से अधिक उच्चतर न हो ।

क्र.सं.	उद्योग	मापदंड	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
		ग—वर्षाजल	
		(I) वर्षा जल को बहिःस्राव, उपचारित मल, मार्जक जल और/या तल घुलाई अपजल के साथ मिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।	
		(II) उद्योग की सीमाओं के भीतर वर्षा जल को पृथक् नालियों द्वारा प्रवाहित किया जाएगा।”।	

(ख) अनुसूची VI में, साधारण उत्सर्जन मानक से संबंधित ‘Part-D’ के अधीन, भार या मात्रा आधारित मानक से संबंधित मद III में, क्रम सं0 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)
“10क	सीमेंट मानक (बिना प्रसंस्करण के)	धूर्णक भट्टा पर आधारित संयंत्र (अपरिष्कृत मिल, भट्टा और पूर्ण खांगर सिस्टम को साथ चलने से कणकीय पदार्थ)	खांगर का 0.125 कि.ग्रा./टन (01.01.2017 से)।”।

[फा. सं. क्यू.-15017/30/2007-सी.पी.डब्ल्यू.]

डॉ. राशिद हसन, सलाहकार

टिप्पण—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में का.आ. सं. 844(अ), 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987 ; सा.का.नि. सं. 176(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1996; सा.का.नि. 97(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009 ; सा.का.नि. सं. 149(अ), तारीख 4 मार्च, 2009 ; सा.का.नि. सं. 543(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009 ; सा.का.नि. सं. 739(अ), तारीख 9 सितंबर, 2010 ; सा.का.नि. सं. 809(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2010 ; सा.का.नि. सं. 215(अ), तारीख 15 मार्च, 2011 ; सा.का.नि. सं. 221(अ), तारीख 18 मार्च, 2011 ; सा.का.नि. सं. 354(अ), तारीख 2 मई, 2011 ; सा.का.नि. सं. 424(अ), तारीख 1 जून, 2011 ; सा.का.नि. सं. 446(अ), तारीख 13 जून, 2011 ; सा.का.नि. सं. 152(अ), तारीख 16 मार्च, 2012 ; सा.का.नि. सं. 266(अ), तारीख 30 मार्च, 2012 ; और सा.का.नि. सं. 277(अ), तारीख 31 मार्च, 2012 ; और सा.का.नि. सं. 820(अ), तारीख 9 नवंबर, 2012 ; सा.का.नि. सं. 176(अ), तारीख 18 मार्च, 2013 ; सा.का.नि. सं. 535(अ), तारीख 7 अगस्त, 2013 ; सा.का.नि. सं. 771(अ), तारीख 11 दिसंबर, 2013 ; सा.का.नि. सं. 2(अ), तारीख 2 जनवरी, 2014 ; सा.का.नि. सं. 229(अ), तारीख 28 मार्च, 2014 ; सा.का.नि. सं. 232(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 और सा.का.नि. सं. 325(अ), तारीख 7 मई, 2014, सा.का.नि. सं. 612(अ), तारीख 25 अगस्त, 2014 ; सा.का.नि. सं. 789(अ), तारीख 11 नवंबर, 2014 ; का.आ. 3305 (अ), तारीख 7 दिसंबर, 2015 ; का.आ.4(अ) तारीख 1 जनवरी, 2016 ; सा.का.नि. सं. 35(अ), तारीख 14 जनवरी, 2016 तथा अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 281(अ), तारीख 7 मार्च, 2016 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2016

G.S.R. 497 (E). – In exercise of powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :-

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called the Environment (Protection) Third Amendment Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986,-
(a) in schedule I, after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“S. No.	Industry	Parameter	Standards		
(1)	(2)	(3)	(4)		
“10A.	Cement Plant with co-processing of wastes	A- Emission Standards			
		Rotary Kiln – with co-processing of Wastes			
			Date of Commissioning	Location	Concentration not to exceed, in mg/Nm ³
			(a)	(b)	(c)
		Particulate Matter (PM)*	on or after the date of notification (25.8.2014)	anywhere in the country	30
			before the date of notification (25.8.2014)	critically polluted area or urban centres with population above 1.0 lakh or within its periphery of 5.0 kilometer radius	30
				other than critically polluted area or urban centres	30
		SO ₂ *	irrespective of date of commissioning	anywhere in the country	100, 700 and 1000 when pyritic sulphur in the limestone is less than 0.25%, 0.25 to 0.5% and more than 0.5% respectively.
		NO _x *	After the date of notification (25.8.2014)	anywhere in the country	(1) 600
			Before the date of notification	anywhere in the country	(2) 800 for rotary kiln with In Line Calciner

		(25.8.2014)	(ILC) technology. (3) 1000 for rotary kiln using mixed stream of ILC, Separate Line Calciner (SLC) and suspension pre-heater technology or SLC technology alone or without calciner.
		HCl	10 mg/Nm ³
		HF	1 mg/Nm ³
		TOC	10 mg/Nm ³ **
		Hg and its compounds	0.05 mg/Nm ³
		Cd +Tl and their compounds	0.05 mg/Nm ³
		Sb+As+Pb+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+V and their compounds	0.5 mg/Nm ³
		Dioxins and Furans	0.1 ngTEQ/ Nm ³
		Note: The abbreviations used in the Table shall mean as under: SO₂- Sulphur dioxide; NO_x - Oxides of Nitrogen; HCl – Hydrogen Chloride; HF – Hydrogen Flouride; TOC - Total Organic Carbon; Hg – Mercury; Cd – Cadmium; Tl – Thallium; Sb – Antimony; As – Arsenic; Pb – Lead; Co – Cobalt; Cr – Chromium; Cu – Copper; Mn – Manganese; Ni – Nickel; and V - Vanadium.”; * The concentration values and timeline for implementation in respect of PM, SO₂ and NO_x shall be governed in accordance with the provisions under notification published vide GSR No. 612 (E), dated the 25th August, 2014 and amended from time to time. **Permitting authority may prescribe separate standards on case to case basis, if Total Organic Carbon (TOC) does not result from the co-processing of waste. (a) The height of each individual stack connected to Kiln, Clinker Cooler, Cement Mill, Coal Mill, Raw Mill, Packaging section, etc. shall be of a minimum of 30 metres or, as per the formula $H = 14 (Q1)^{0.3}$ and $H = 74 (Q2)^{0.27}$ whichever is more, where “H” is the height of stack in metres and “Q1” is the maximum quantity of SO₂ expected to be emitted in kg/hr and “Q2” is the maximum quantity of PM expected to be emitted in tonnes/hr through the stack at 100 percent rated capacity of the plant; (b) The monitored values of SO₂, NO_x, HCl, HF, TOC, Metals and Dioxins and Furans at main kiln stack shall be corrected to 10% Oxygen, on dry basis and the norms for SO₂, NO_x, HCl, HF, TOC, Metals and Dioxins and Furans shall be applicable to main kiln stack and the norms for Particulate Matter (PM) shall be applicable to all the stacks in the plant. PM, SO₂, NO_x shall be monitored continuously. HCl, HF, TOC, Metals and Dioxins and Furans shall be monitored once in a year; (c) Scrubber meant for scrubbing emissions shall not be used as quencher and plants having separate stack for gaseous emission for the scrubbing unit, the height of this stack shall be at least equal to the main stack.	
		B- Service waste water (with co-processing of wastes) All efforts shall be made by the industry for ‘zero discharge’ of service wastewater and in case, the industry prefers to discharge service wastewater, the following norms shall be complied with:	
			Concentration not to exceed, milligram per litre (except pH and temperature)
		pH	5.5 to 9.0
		Suspended Solids	100

		Oil and Grease	10
		Temperature	not more than 5°C higher than the intake water temperature
		C- Storm water (I) Storm-water shall not be allowed to mix with effluent, treated sewage, scrubber water and or floor washings. (II) Storm-water within battery limits of industry shall be channelised through separate drain(s).	

- (b) in Schedule VI, under 'Part-D' relating to General Emission Standards, in item III relating to Load or Mass based standards, after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"10A	Cement Plants (with co-processing)	Rotary kiln based plants (Particulate Matter from raw mill, kiln and pre-calciner system put together)	0.125 kg/ tonne of clinker."

[F. No.- Q-15017/30/2007-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Advisor

Note .- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* the following notifications, namely:-

S.O. 433 (E), dated the 18th April 1987; G.S.R. 176(E), dated the 2nd April, 1996; G.S.R. 97 (E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149 (E), dated the 4th March, 2009; G.S.R. 543(E), dated the 22nd July, 2009; G.S.R. 739 (E), dated the 9th September, 2010; G.S.R. 809(E), dated, the 4th October, 2010, G.S.R. 215 (E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; G.S.R. 354 (E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424 (E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446 (E), dated the 13th June, 2011; G.S.R. 152 (E), dated the 16th March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; and G.S.R. 277 (E), dated the 31st March, 2012; and G.S.R. 820(E), dated the 9th November, 2012; G.S.R. 176 (E), dated the 18th March, 2013; G.S.R. 535(E), dated the 7th August, 2013; G.S.R. 771(E), dated the 11th December, 2013; G.S.R. 2(E), dated the 2nd January, 2014; G.S.R. 229 (E), dated the 28th March, 2014; G.S.R. 232(E), dated the 31st March, 2014; G.S.R. 325(E), dated the 07th May, 2014, G.S.R. 612, (E), dated the 25th August 2014; G.S.R. 789(E), dated the 11th November 2014; S.O. 3305(E), dated the 7th December, 2015; S.O.4(E), dated the 1st January 2016; G.S.R. 35(E), dated the 14th January 2016 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 281 (E), dated the 7th March, 2016.